न्यायालय श्री मान अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मण्डल म०प्र०
ग्वालियर, (म०प्र०)

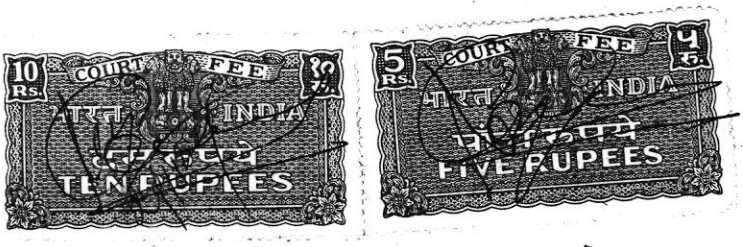

मुबारकदीन तनय नजीर बक्स निवासी ग्राम मेरहा तह० मउगंज जिला रीवा म०प्र० --- आवेदक

बनाम

रामदुलारे तनय बरमदीन ब्राह्मण निवासी ग्राम मेरहा तह० मउगंज जिला रीवा म०प्र० -- अनावेदक

R-165-III/2001

सुरेश नाथ पाण्डेय अभि० द्वारा दि० 24-1-2001 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

24 JAN 2001

24-1-2001

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के प्र० क्र० 299/99-2000में पारित आदेश दिनांक 27-12-2000.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० सं० 1959.

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्नलिखित है :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध निर्णय देने में भूल किए है।

2- यह कि रजिस्टर्ड विभाजन पत्र के आधार पर प्र० क्र० 11अ-27/94-95 आदेश दिनांक 31-10-95 के द्वारा जो पंजीयत विभाजन पत्र के आधार पर नामान्तरण किया गया था उसे निरस्त करने का अधिकार धारा 32 म०प्र०भू०रा०सं० 1959. के अन्तर्गत तहसील न्यायालय को नहीं था फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने टीप दिनांक 5-10-2000 में यह कहना कि भूमि पंजीयत विभाजन पत्र में सामिल नहीं है अपने आप अन्तरण का एक उचित आधार था जिसे अन्तरण न करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल

हस्ता०

मुबारकबी / रामदुलारी
R 165-II/2001 टौंक,

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-12-14 लोक अदालत	प्रकरण आज लोक अदालत की सुनवाई में लिया गया। 2 आवेदक अभिभाषक श्री के०के० द्विवेदी ने उपस्थित होकर अनुरोध किया कि उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त टौंक के आदेश दिनांक 27-12-2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की थी, जिसके द्वारा आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अंतरण आवेदन निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क है कि जिस पीठासीन अधिकारी से प्रकरण अंतरण कराना चाहते थे, उस पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है, अतः अब इस प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदक अभिभाषक का अनुरोध स्वीकार करते हुये इस प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण इसी प्रक्रम पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.डी. शर्मा) सदस्य S-1 ([illegible] वशिष्ठ) सदस्य S-2 (डॉ. [illegible]) अध्यक्ष	

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.

[illegible] 24-2-07-20,000.